प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :-- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। कुल लम्बाई 26 कि०मी०

वन अधिनीयम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - रिल्ली

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

अनापत्ति प्रमाण – पत्र

उक्त प्रकरण के विषय ग्राम पंचायत. किंत्रज्ज द्वारा दिनांक 2102/2024 को सम्मपन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण प्रत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनीयम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतू आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारो का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रखे. त्यू जी.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा॰मा॰खण्ड, लो॰नि॰वि॰, बडकोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकांशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं॰ 123 (507) के कि॰मी॰ 75.00 से कि॰मी॰ 101.00 के रिखाऊ से मराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतू वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्रधान निर्धाल ग्राम^{ह्}पैचायत मेलियाली वि०स**्न-नौम्रांत** (उत्तरकाशी)

ह० /*—* ग्राम सचिव

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है,तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा है।

<u> प्रपत्र – 23.1</u>

दिनांक <u>2)22)224</u> के ग्राम सभा की सम्मपन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत का नाम – किल्ला

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासिय्रों के नाम	2121017
1	Gain THE STO GISALL THE	हस्ताक्षर दिवान ग्रिड
2	33-TI- FEE STO ATION THE	315-11-7 215
3	crath and S/o cachi isra	aborn 1 Ge
4	-274 FOE 570 CTEN FOE	Pres
5	23,717 (52 5%) (710) (52	39,16165
6	-27-2124 570 \$21/724	EN941
7		41 110)
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

प्रधान प्रधान कियाली ग्राम पंचायत कीजियाली विठरुठ नौगर्षि (उसरकाशी)

and a second

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम :– उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि०मी० 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। कुल लम्बाई 26 कि०मी०

वन अधिनीयम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – ढाडाँगी

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

अनापत्ति प्रसाण – पत्र

उक्त प्रकरण के विषय ग्राम पंचायत. कोई की किया आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण प्रत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनीयम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारो का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्रि.ज.गी.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा॰मा॰खण्ड, लो॰नि॰वि॰, बडकोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकांशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं॰ 123 (507) के कि॰मी॰ 75.00 से कि॰मी॰ 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

तन जास पंचायत

ह० /-

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

नोटः— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है,तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा है।

प्रपत्र - 23.1

दिनांक <u>२०/1२/२</u>२३ के ग्राम सभा की सम्मपन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – कड़ीजी

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	3321 PHE- SIONA-201E-	(art)
2	CARIOTATE STARTE	
3	21 Am Dic Sloop Die	4125
4	VIZIANCE SUITAL	21212 Survey
5	JUNETRIC S/o 214, 1410	1 CCh
6	Titri I The She state	() Syn
7	The state of a state of the	Bituet any
8	Mardier and Sto And Ada	19 TATA LETE
9	Sa marine	Janis 198 - THEIS
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

VERT THE STILLE - NO Montal Rule - Al ह०/- ग्राम प्रधान

- Barris

0 1

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम :– उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं० 123 (507) के कि०मी० 75.00 से कि॰मी॰ 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव | कुल लम्बाई 26 कि॰मी॰

वन अधिनीयम्. 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - स्मेली

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

अनापत्ति प्रमाण – पत्र

उक्त प्रकरण के विषय ग्राम पंचायत... द्वीर्स्री द्वारा दिनांक 18-12-2023 को सम्मपन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण प्रत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनीयम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतू आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्रीली...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा॰मा॰खण्ड, लो॰नि॰वि॰, बडकोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकांशी जिले के राष्ट्रीय मार्ग सं॰ 123 (507) के कि॰मी॰ 75.00 से कि॰मी॰ 101.00 के रिखाऊ से मुराडी तक दो लेन चौडीकरण हेतु वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

२न्भाभलाल श्याम लाल तभासद वार्ड न0-7 मुलाणा नगर पंचायत नौगाँव (उत्तरकाशी

ह० /-

ग्राम प्रधान

ह० /-

ग्राम सचिव

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है,तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा है।

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 1.8/12/2023 के ग्राम सभा की सम्मपन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत का नाम – रनोत्नी

तहसील – बडकोट, जिला – उत्तरकांशी

क्रमांक	ग्राम सुसा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	YCHYTEE	tourian
2	G1445 21011	atonia
3	doil rilet	di all'alla
4	deic y	Kuldeto
5	42721	Raga
6	2/072/197	Stark Str 1
7	122100 YUND	Suchin
8	्र विद्यालाल	ितितित
9	GRATSHIL	6122 3mic
10	-मी वीराम्	(onkom)
11	RINALON	2120011
12		<u>Olivititi</u>
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ह०/- ग्राम प्रधान २०१९मालर

प्रपन्न-23.2

1

÷

•]

3

परियोजना का नाम :- जनपद् उत्तरकारी के राव्हीय राजमार्ज 123 (507) धातरी खडु से सराडी गाव कि॰ त्री॰ 75.00 से 101.00 तक दो लेत न्याडीकरण हेतु बत र्रति हस्तान्तरण प्रस्ताव लम्बाई 26.00 कि॰ त्री॰

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बडुको ट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

'उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत <u>२० २२ राज भाग (123) 507 कि</u> जी. 75-101 (आरक्षित वन भूमि <u>0.900</u> हे0 रेंज <u>अगरमती के नाग</u> , सिविल एवं सोयम वन भूमि <u>30.960</u> हे0, वन पंचायत भूमि ________ है0), अर्थात कुल <u>31.860</u> है0 वन भूमि का <u>इस्तो नाण</u> प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु <u>अनूसूचित जनजात</u>ि और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बडको 2......) की दिनांक <u>2012 अ</u>....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	श्री देव प्रति भारत उपजिलाधिकारी जोडते है अध्यक्ष है
2-	त्री
3—	
4—	श्री

संबंधित उप प्रमागीय वनाधिकारी,द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।



उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन् अस्किार समिति तहसील एव बड्कोट-धी-

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तर कार्यो

 $\langle \rangle$

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाविकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनुः अधिकार समिति तहसील्य अस्त्र कार्ट्याहा. जनप**द्ध बाल** कार्ट्याहा. जनप**द्ध बाल** कार्ट्याहा.



Annexure-1

FORM-I

(For linear Projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collecor Uttarkashi. NH N. 123 (New 507) Harbatpur to Barkot Band Motor

Name of Project-

No. 37 Road.

Dated 27-12-14

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 31.860 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of NH Barkot for Construction of NH N. 123 (New 507) Harbatpur to Barkot Band Km. 75.00 to 101 (Thatri Khad to Naugaon) in Uttarkashi District falls within jurisdiction of Naugaon village in Barkot tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 31.860 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

. A. 4

(C.Ravishankar) District Magistrate, Uttarkashi.

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT-Uttarkashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 31.860 hect for the construction of NH 123 (New 507) Harbatpur to Barkot Band Km 75.00 to 101 (Thatri Khad to Naugaon) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Barkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the focuments and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi Dated: 2.7.-1.2.-14

15.

(C. Ravishankar) District Magistrate cum-Chairman District Level Committe Uttarkashi.

परियोजना का नाम :- जनपढ़ उत्तरवाशी में राष्ट्रीम भार्ग - 123(507) भारती जड़ाते मुराही गांग जिम्मी 75.00 हे 101-00 हो लोन - गहीवरण) हेयू उनशूमि हान्वान्तरण अपनग्।

वन अधिकार अधिनेवन 2006 के अन्तर्गत अनापरित प्रमाण-पत्र

ग्राम रंड बत का नाम 17. र. 135 तहर्साल _ बड्कोट, जिला उत्तरकार्शी

जनायत्ति प्रनाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकारी = उत्तरांत के लेव नाडीकर्म परियोजना उत्तराखण्ड में जनपद <u>अत्यव्यामा</u> इ उत्तयत <u>दा लव पा प्रावर्त्रम</u>् पारयाजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन न<u>ुनि NiLL</u> हे) रेंज <u>अस्यत</u>, सिविल सोयम मूमि <u>11.12</u> हे0, वन पंचायत मूनि <u>म</u> हे0) अर्थात कुल <u>11.127</u> हे0 वन भूमि का मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्रान पंचायत स्टिम्बन हो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक <u>को</u> सम्यन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन मूनि नें आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित समी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित दन मुनि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रिस्नाइ लग्नेगी के ग्रामवासियों को उक्त दन हो 20 275 मार्ग कर कि लग्नोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर केर आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/- ग्राम पर्यायत भिकास अधिकारी ग्राम राचिकाम पर्यायत ((14)44) खेळान सब्द नोगांच (30का0;

And the second of the



(error 26-00 bordon

नोट :-- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी नूनि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दियां जाय।

उक्त प्रपन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति हुन्ह प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1 . ग्राम पंचायत रिरलाऊ ग्राम त्रमा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम कुमांक हस्तासर ८नवर सिंह पंचार 5/0रूव- भी राजमाहि गार्केट् सिंह पंग र 5/6 की मेरर सिंह 2 Star Tate Twin stort an alter attan 31 delles 3 At a wate the valia stant at a fil P-31277 RTES/00013121 31212 121 3. - ater a fais in 5/0 F2. + 1/ AZIN faite 6 X लिये- ह सिंह केंगर 5 10 मा की दिना हा 24 <u>B</u>-TAZ AAG TANZS/02000 15-5 Pik म्हात सिंह पंगर 5/05-08ी लाही शाम ۍ. HIBIATA RES S/0 BARA STRACT 10)-गान्तर मिल पंगर 5/0 २३० ली गुल्मा मिल JATE - AR CAR AR ANISO DOG A CAUGA 12 GITTAE - मान किंठ प्रार 5/0 2- की धारम सिंह 3 antitul Entrans dais 3/6 23 At des of the instance - (P) 312005 VIET 5 10 2 30 2 1 21 1 1 4 4 4 4 4 4 TS) .-भुमेला परंग 5/07 वा की बान कि प्रा Ti तीता मिह पंचाद s/o स्व भी सीताराम 17 ant tans She the those of the top the 15 Gtadit A's slo era at this as कामल सिर्ह 5/0 23- ही के सिया हीह af of milter



• }

प्रपन्त्र-23

परियोजना का नाम :- जनपर अलरतादी मे वाक्सिम राजमार्ग 123(507) अस्त्री खड़ हे मुराझे जांव कि कीठ 75-00 है।।। के की दा लेन - पोड़ीवर७) हेरा बन कर्म हरनान्त(0) इत्लाव.) (लान्बार 96.00 कि (errail 26.00 hond

वन अधिकार आधेलेटन 2006 के अन्तर्गत अनापतित प्रमाण-पत्र

ग्रान पंद्रपट का नाम वाग्रान तहर्ताल 03012, जिला उत्यस्थार्था

जनायरित प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्त्यता हो इन्दर्गत ये तेन - मेडी अन्दर्ग परियोजना अताराखण्ड न जनपद <u>अग्रित वन न्यूने <u>NiLL</u> हे0 रेंज सिविल सोयम के निर्माण हेतु (आएसित वन न्यूने <u>NiLL</u> हे0 रेंज मूमि <u>1.199</u> हे0, वन पंचायत न्यूने <u>NiLL</u> हे0) अर्थात कुल <u>1.199</u> हे0 वन मूमि का राष विकास के पक्ष में भाएत सरकार, पर्यावरण एवं वन</u> मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक ने प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु वित्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन नूनि नें आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित समो ग्रानवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त यन मूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिश्वित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित दन स्मि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्रि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर रोड़ आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सूत्य एवं सही है।

JUL TONY ALS SALE TO BE EOV+ VIN. TO OY OST ग्रामें सचिवश्र के मेरावि दिलावर

A support of the second second second

तदन्सार

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूति उमादित हो रही है, उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति हत्य प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

	दिनांक!! 14 2014 को ग्राम समा की सम्पन	न बैठक की उपस्थिति
(.	ग्राम पंचायत कार्डानी	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
कुमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	खरेश गोइड भी कुलाराय गोइ कठ्ठरी	
21	ने सुमारी झान्ते रेनि होह मेर कार के	Grange
-31	मे खरेन्द्र दत्तं भेड़ 8/2 वर्षि करताती	- Alaphilt
·1-	- 24 टमारे लाखत्री 55 A सिमाराम	(1200)
5	M वचनरास इ.M सनाराषु	- and any
6 -	BY alt - Xts	9
<u>, </u>	ARYHU,	TTY SFITS
8	मू नमेहन	Bus
9	Markin .	तोता राम
10	ZIENEL-G	haute
<u> </u>	YANI MICH	- 4(21001 A
12	2 TILAT	21120
13	Thirty	. Fromthy O.
14	Pcoulo1414	Faaraure .
15	7-71414	2 TI MO
16	Zielkin	C121515
·	-	-
:	·	

•

प्रपत्र-23.1 🛞 🕅

ſ.

i ...



 \bigcirc

167-144

.

प्रपत्र-23 े

परियोजना का नाम :--जनपद उलरका भी भे राव्हीय राजमार्ज 123 (507) थातरी खडु छे मुराग्री गांव कि॰ भी॰ 75 ०० से 101 ०० तक दो लेन न्याडी करना हेतु बन लम्बाई 26.00 कि की म्राम हस्तानरग मस्ताव

वन अधिकार अदिलियन, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्रान रंडायल का नाम रख्यूठा तहसील बाउँमोर जिला उल्टरनाशी

जनावदित प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्परकाशी के अन्तर्गत के लेन - यो शिकरण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन मुने <u>Niu</u> हे) रॅज भूमि 0.821 हे0, वन पंचायत नूनि रहेर) अर्थात कुल ए.821 हे0 वन भूमि का 28 मार्ग को कि विद्योग कि तर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया भूया। गत्रालम क्षारा अप्यायावा करने हुए जायना अस्तुव जिया गया। छक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत *व्यमुक्टी* द्वारा दिनांक <u>30-11-14</u>को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक ने प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूनि ने आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित जनो ग्रानवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त यन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा

है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आदेदित दन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसन्नति से निर्णय लिया गया / प्रस्तूव पारित किया गया कि ग्राम समून्ती के ग्रामवासियों को उक्त दन की राठ गठ मार्ट के कि कि को प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर लोड़ आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्रांग प्रध्ति

214 Sta 22. 1. EO X ... (15:07-ग्रामञ्सचिव

TINE

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूिः प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपन्न में दिया जाय।

उक्त प्रपन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति हत्तः प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 30-11-14 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

प्रपञ्च-23.1

89

ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
KH&I DANG - MERICA OHAD	+ Xovandizym
व्युयोरीम नगट्याल क	Butient
	Contant.
	Public
	- Hare
्राणेन्द्र सेछवाल	Innuli
र्युरेन्द्र रागा	े रे रे दे दिखे हराणा
राहमू जो हिपाल	Belantija
all z KIS XIVII	Grandel
मेर मनोय नेगरिमाल (बन सरण्म) 9 क	@ Countyper
THAT SCOR ALICHICA	Bridd -
जेश आह	Taylery.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	सुरेष् रागा संहेभू में दिपाल

(`)



प्रपन्न-23.2 परियोजना का नाम :- जनपद उल्परनाशी में राष्ट्रीम ग्रानमार्ग 123(50) भास्तरी ७३5 से मुराईर जांव जिम्मी २५०० से 101-० तम हे लेन -रॉइविरण) हेनू वन श्रुमि हला नएन जानग कार्यालय उप जिलाधिकारी, करकेट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

-	an shi toos for silver	उपजिलाधिकारी	- asau		e to belle
2-	8 A A A	उपाजलाध्वकारा उप प्रभागीय वनाधि	कारी	अध्यक्ष	Jente 1991
- 3-	SH SHE SHE		याण अधिकारी	संदर्ख / स	Tag PA
4—	श्रीमूरी राजीरी देखी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	ebesi21	संदक्त्य	THE STUTT
	•		04.0 1.0 5	Se sua cin in	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि <u>राष्ट्रप्रेक</u> राजमाठा 183(50 र) जिल्हा परस्यों को अवगत कराया गया कि <u>राष्ट्रप्रेक</u> राजमाठा 183(50 र) जिल्हा राष्ट्रप्र को अवगत कराया गया कि <u>राष्ट्रप्रेक</u> राजमाठा 183(50 र) जिल्हा राष्ट्रपर्ये को अवगत कराया गया हेतु है0 वन भूमि में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त मूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमागीय वनाधिकारी,दारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्यत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 🖉 के 🗸 परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीम (कराजमा) 123(507) परियोजना के निर्माण हेतु <u>13-147</u> है0 दन मूमि <u>का दिनालन क</u> प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति उप जिल्लाकरी अस्यकार उपखण्ड स्तरीय के अधिकार समिति तहसील- @22712 प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, 30020121 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

·)

.)

उप जिलाधिक्रर्सि / अहम जपखण्ड स्तूरीयहर्क अधिकार, समिति तहसील-जनपद....

61

प्रपन्न--23

परियोजना का नाम :- जनपद उल्परवाही के बार्क्सिन राजमार्ग 123(50 7) आलरी व्युड के प्रवाईत मोब कि की० 75-00 के 101 रु है आज का की लेन-याँडीवरल हेरू नन- अति हम्लान्यर्ग उप्रत्वा थ ! (राम्बार्क क्रिकी॰. 26-10 क्रिकी॰

वन अधिकार अधिनियम् 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--- पत्र

ग्रान जंबादत का नाम सिंगुकी तहफील बाहती जिला उल्परकाशी

जनापतित प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद उत्परवासी के उन्तर्गत के लोन - यो मीवर का परियोजना उत्तराखण्ड म जनपद <u>अल्प्लाना</u> २ अन्तपत <u>पा राग</u> हिंगात <u>पा राग</u> सिविल सोयन के निर्माण हेतु (आरक्षित वन न्ह<u>ोंने Mill</u> हैं0 रेंज <u>हैं0</u> अर्थात कुल <u>6.313</u> है0 वन मूमि का भूमि <u>6313</u> है0, वन पंदायत नूनि <u>Mill</u> है0) अर्थात कुल <u>6.313</u> है0 वन मूमि का राह ता मार्ग राह कि प्रत न्होंने राग्त तत्त्वा के एस में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन राष्ट्राव वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्रान पंचायत कियुणी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक ने प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु वित्त्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन मूनि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित समी बानदासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित दन मुनि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्पय लिया गया / प्रभुताव पारित किया प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

第0/-ग्रामार्सचिव ग्राम प्रंथ

नोर्ट के यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी नूनि प्रमावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति हुन्द प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



1-

5

प्रपन्न-23 🔍

परियोजना का नाम - सनपर उत्तरकाकी में राव्हीन राजमार्ग 123 (507) माली (055 में मुराही गांग किरु की 75.0 रेग 101 त्यु के द्वा लेन - मंडीवरल, हि वन स्रीम हत्यान्वरण स्त्लाग । (लेक्स्ट्री 26.00 निग्तीण)

वन अधिकार अधिनेवन, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्रान रंडाटन का नाम पिकिमारा तहन्तेल करनेट जिला उलरठाटी

जन्जयतित प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद <u>उत्तर आश्रो</u> के उन्तर्गत <u>में लोन</u> <u>चौडीवर म</u>्परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन न्ह<u>ीने Niu</u> हैं० रेंज , सिविल सोयम भूमि <u>1.848</u> हे० वन पंदायत न्हींने <u>Niu</u> है०) अर्थात कुल <u>1.848</u> है० वन भूमि का राज तक कार्य सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्टुत किया गया।

भश्रालय द्वारा अत्यायगण परन हुए जायरा अहुत निर्माणमान् हारा दिनांक को उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन नूनि नें आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित समी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन मुनि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पिकिस्तारों के ग्रामवासियों को उक्त वन हुटि पिर्टा स्प्रा के जिल्लाकों के प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर टोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-ग्रामग्रसचित्र स्थिता श्रीकारी ग्राम पंचाया स्थितिम्



नोट कि खिश्य प्रति स्वार्था अथवा वनवासी की निजी सूत्रि अमावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

जक्त प्रपन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति हारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

	दिनांक जुन्म कि सम्प	न्न बैठक की उपस्थिति
	ग्राम पंचायत	
क्रमाक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	र्मस्ताक्षर
0	संरत खिंध रावत	स्तिसिङ
(2)	यम खिंध रावत	Any baut
. (3)	अयवीर सिर्ड रावत	जायबाराखर
<u>(4)</u>	कापाल तिई रावत अरतीयद रावती	LAR-
()		Brspit
(6)	देवेन्द्र सिंह रापटा	देवेन्द्र विस्ट्र
· JA	राम मन	21219/24
Ø	· · · ·	Rhout
Q	HUTTHE DOUT	An
(0)	वेचनानिष्ट रावत	वयनास्ट
11	-1114 E TICI	Chaime 5
12-	-11211210/12/2 (2)	on where
(13)	सरयारतिह रावत	Carowy
14	224414	·1/2416
15	JIN ET LING	Ang 1
(b	alog 21 dy	Dourser
_17	igan Lind	Dingh
10	along of	ADAT
l		

प्रपत्र-23.1

1.

Miller and

)



ग्राम प्रधान

प्रपन्न-23.2 परियोजना का नाम :- जनपद उत्तर का की में राष्ट्रीम राजमार्ग 123 (507) भारती रण्ड्र से मुराड़ी गांव छिग्ती 75 करें 101 करें हैं। वर्ग सेंड हें वर्ग क्रेडि हत्यां करें सालग व ! विग्रहार्ड 26 00 क्रिकीण) कार्यालय उप जिलाधिकारी, कड़ेनेट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

11

)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

	A Start View
3-	श्री 40 मादव उपजिलाधिकारी बहुतार अध्यस
2-	श्री की महत्व उप प्रमागीय वनाधिकारी के को सरसा करेंग
3-	श्री
4-	
-	श्री
	+ (8. 6011)
	उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिस्प्रिकर्ण करते हुए उप
अस्त	मति से हैलक की कार्यना के प्रति में प्रति में प्रति करते हुए ७५ जिस्सिक के के कार्य

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्नुहोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत <u>राष्ट्रीय राज्याय कि</u> 123 परियोजना के निर्माण हेतु <u>8.161</u> है0 वन भूमि <u>ठा हरूला-तर्ण</u> प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति 3/822) उप जिल्धिकरी उपखण्ड स्तरी तहसील-.....स जनपद ... उत्तरकार्या प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्ररवाहा .. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उप जिलाधिकारी / 318 उपखण्ड स्तरीय €E.ÁST

तहसील जनपद ाति

(``)

)

प्रपत्र-23



परियोजना का नाम :- जनपर उत्तरमात्री में राज्सीम राजमार्ग 123 (507) भारती व्यर से भुराही जांज कि भी कर के 101. करने की नान - महीतरण हैं वन अपि हत्नानरण हाताब (लाखार्र- 26. कहिल्ल्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

<u>अनापत्ति</u> प्रमाण पत्र

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम <u>क</u>्र*ाम* के ग्रामवासियों को उक्त वन पूषि कित<u>ि दिलालस्टर्म</u> प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम चे०-वि० स्रधिकारी বিতন্তা০ নীগাঁব (ত০কা০) ग्राम सचिव

: 5

· · · · 1



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी नूरि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति हास प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रपत्र-23.1

्मांक	THE THE THE THE THE THE THE	
	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्तास्तर
Ø	নসনি	STRAT
2	J-10-KIA	8751CUM
0	1201KIN	Start
Ø	Zax 410	Sur
00	CNI (CALLIA)	11 - 11
-	MIRGIH	Car Gi Cin
6	आत्मिर	112 JUL 2 11
(8)	au-47/66	And Clot
$(\mathbf{\hat{P}})$	distaly Att	hug
Ô	जीवतिह	-totala
0	ज की सिंह	10.01
A		Calle Ind I al
ñ		ye arter
(13)	किस्मा किंद	Jazy AV
	2 PHUM	entruction

',}

प्रपत्र-23 े



परियोजना का नाम :- जन्मद उल्लरका ही में वर्ण्यू राजमार्ग 123(507) माल्यी एड़ से खुराड़ी गांव का जिठभी के 75 00 से 101 गढ़ है के लेन-योडी करण है वन भू कि हिल्म्स्सि प्रस्ताब। (ल्फ्साई 2600 किण्मी)

वन अधिकार आवितिवनः 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र

ग्राम रचटत का नाम जर्द्र) तहसील क्रिकोर्ट जिला उत्परकाश्ची

जनायत्वि प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद <u>उत्तर्रताशा</u> के अन्तर्गत <u>दो लिन</u> <u>पाउं विरुग</u> परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन मूनि <u>Alick</u> हेउ रेंज हिंग होटे <u>हेउ रेंज</u> हिंगिल सोयन भूमि <u>3: 674</u> हेठ, वन पंचायत मूनि <u>Mick</u> हेउ) अर्थात कुल <u>3: 674</u> हेठ वन मूनि का <u>दारुमार्ग राज्य तो कि पिछ पछ में जिल</u>, संस्वा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रन्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय ने ग्रान पंचायत जीवरी हो हो जीवरन प्रनेत के

उक्त प्रकरण के विषय ने ग्रान पंचायत ब्राह्म पंचायत ब्राह्म पंचायत की क्रिक्त प्रकरण के विषय ने ग्रान पंचायत की कैठक ने प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक ने प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापतित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, अनापतित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन मूने ने आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सनो ग्रानवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन मूनि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसन्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताद भारित किया गया कि ग्राम <u>को रेजे के</u> ग्रामवासियों को उन्त वन गूरि <u>को को (जूठ कि</u> किया) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

का विविव आधेका

80/- ग्राम पंचायत करें। ग्राम सचिविण्खा नौगाँव (उतकात)



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी नूनि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपन्न में दिया जाय।

उक्त प्रपन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति हारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1	प्रपत्र23.1	(10)
	दिनांक	रान्न बैठक की उपस्थिति
	भाग पंचायत	/*******
ङमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
:	KIST'STOF	
"<.	gaing for	RIGHTE
3.	ATREN BE	2129/2105
4.	मजमाहन सिंह	सरदारसिंह
5.	Grong The	सनमोहन सिंह
6-		2191-718
2	MEDITY	HSMIRE
-	-19/6/2	- पैन्सिह
	JATAL	जियोसि ह
	deg by	217765
	etretz	4 JAC
10-	other At	जै-द्रसिंह
12	Lorars Ale	रणबीटाकिट्
.	Julie	(Ulaicie) C
		· · ·
		·

-1.1



•

प्रपन्न-23.2

परियोजना का नाम :- जनमद उल्लरकाशी में राष्ट्रीम राजमार्ग 182 (507) भारती एड़ से खर्ड़ी . गांव ना नड करें 100 क रह से हो लैन - रोड़ीवरण टेसू वन - क्रमि हस्तासन प्रान्ता । (लग्न्बार्ट 26 क किर्ण तिष्ठ) कार्यालय उप जिलाधिकारी, बिश्के) अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति. परम्परागत वनवृश्ची (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम

2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

•

.)

1-	A Swall were
·	श्री दूध माद्व उपजिलाधिकारी कर्म्या २०
2-	श्री मारि भेठ मिर्ट जप प्रमागीय वनाधिकारी कर की सदस्य तथ में दिना र
2_	
9	श्री गा(- भ) गाल- सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4	श्रीमती अस्त वी0डी0सी0 क्षेत्र प्रत्यास्त के से स्तर
	The states
	ATTRACT THE THE THE AND THE AN

1.

1 -:-

प्रियोजना के निर्माण हेतु <u>1.4.4.24</u> है0 वन मूमि का हित्वान्तवहरू प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति

्र उप जिल्लाधिकारी / अस्यसर्द) उपखण्ड स्तरीय बन्द्र अधिकार समिति तहसील-A

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, 3 लरुअझ)। को सूचनार्थं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

·.)

ì

उप जिलामिकारी/अस्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- व्याती (जावी) जनपद उत्स्वताहा

प्रपत्र--23 ी

परियोजना का नाम :- जनपद उग्ग्यमाही में राष्ट्रीम राजमार्ग - 123(507) भागरी (ण्ड्र से मुवाई) गांव न छि०भी० 75 कर से 104 न तक वै ये लेफ न्मेंडविरण हेरू वन श्रूमि हालान्स्ला प्रासाब? (लग्चर्फ २६ जाफ्रामिल)

वन अधिकार अधिनेदन 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र-

इ.न म्बरन का नाम हारा मुल्या तहनील किला- जिला उत्माशी

इन्डिटें प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद <u>उत्तर कार्र्सा</u> इं उन्तर <u>दो लेन</u> <u>पति दिस्</u> परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन म<u>ुनि & 900</u> है) रेंज <u>अत्रार स्टल्स</u>, सिविल सोयम भूमि 3:284 है0, वन पंचायत न<u>ुने कार्य है</u>) अर्थात कुल <u>4:184</u> है0 वन भूमि का <u>राध्यमार्ग (के० अर्ध तो किल्डावीर केन्द्र संस्ट</u> इं स्ह में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन उन्तुत किया गया।

चर्चा के उपरान्त आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्माय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धरी जिल्ही प्रानक ग्रामवासियों को उत्त वन दूरि जिल्हा की लिया प्रदेश किया कि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर होते आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

भाव प्रवर्षां शिकास अधिकार अम प्रदर्षितं – स्टार्भ जिल्ली किंकास प्रसार समिमांत /उठकात

Man state and a second state of the second second



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूनि अभावित हो रही है, ता तद तुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकांसे की अध्यक्षता में गठित समिति हास प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रपन्न--23.1

(105

ग्राम पंचायत कारीमुल्माना

क् मांक ।	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम रूग्णलाल	हस्ताक्षर
		2nmala
2	anizi	
3	मनो हत्त 'जेणालाल	Ma
<u>y</u> .	राजेशानेन	adata
5	-92110101	· 3019 3
5.	a elimica	Daviller
	Altra lanat	·
2		AHMT.
8	- 9 ch 9	
9	2225	
10	समीलरागा	Junillang_
11	माम देवी	
12 1	944721011	BILLIFAIL
3	1 2 - 6 Riz 21- E/3-	नरेन्द्र अस्त औहर
<u>4</u>	सुश्रीलराजा	
15	Stated 2104	heforis .
16	alag king	St-Tim (126
17	312/July	Juput
18	BILBUILLIM	Andrand
	-inalian)	Des
L_		

÷ .

1

ह0/-ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जन्मपद उलरकाशी में रावसिम जानमार्ग 123(507) मानरी राज्य से मुराडी गांव छि॰मी॰ 75.00 से लव वे दें। मेन-मॉडीवर॰। हेष्ट्र वन श्रीम हल्लानवर्ण जालाब । (लम्बार्र 26.00 किम्री॰)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विक्रमोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

• • •

·••1

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की मयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री <u>देव स्तार् अ</u> उपजिलाधिकारी <u>व्यम्मोर</u> अध्यक्ष 2- श्री <u>तीर्व पीठ मिर्</u> उप प्रमागीय वनाधिकारी <u>वंद्रतोट</u> सदस्य 3- श्री <u>उपार् तो पाल</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी <u>नीमाव</u> सदस्य साधिव क्ष	
3- STUCAL STUCAL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL	
4- श्री स्त्री र निर्म - नेन्द्र वी0डी0सी0 क्षेत्र हेन्याप्त र रिक्रामी सदस्य इसायव क	
सेत्र पंचायतं किम्भी	۲.

संबंधित उप प्रमागीय वनाधिकारी,दारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।



वैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड <u>बर्डकोट</u> परिक्षेत्र के अन्तर्गत <u>राष्ट्रीम</u> राजमार्ग 123 (se) परियोजना के निर्माण हेतु <u>4.184</u> है0 वन मूमि <u>को हिन्दर्य कर प्रत्यावर्तित</u> किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिल्लाधिकारी उपखण्ड स्त समिति तहसील जनपद

· •1

-]

उप जिल्लीविक्रारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन् अधिको समिति तहसील-030 जनपद..



परियोजना का नाम - जन्मपद उत्तरमाही में राष्ट्रीम राजमार्ग (23(507) जामरी (बहुर से मुराइ) गांन किलीक नुड.00 रेंग (2) के लेन - नॉडिविरल हेत बन-भूषिन हिस्लान्स्ल मुस्ला न । (ताम्मर्ड 26.00 किल्मिस)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रपन्न--23

राप पंयायत का नाम नाभाव तहसील ब्याकोर Gen Brokhiz

अनापत्तिः प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड नें जनपद उत्तरहोती के अन्तर्गत के लौन नी दिस्टर्ग परियोजना के निर्माण हेतु (आएकिश वन भूमि आद्र है० रेंज <u>Mi'L- (</u>, रिपिल सोयम भूमि 2.376 है०, वन पंचायत भूमि <u>Mi'L- है०</u>) अर्थात कुल <u>0.376 है</u>० वन भूमि का गुरुभण कि सहलान कि जिन्दा पर्वायत भूमि <u>Mi'L-</u> गुरुभण कि पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालव हारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्ररहत किया प्या।

उदत प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत की ग्रेग्नि द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राप सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोगता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूभि के संबंध भें जनापति। प्रमाण पत्र निर्मत करने हेतु विस्तृत वर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवदित दन पूर्वि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी सामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उत्ता तन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा भैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंदित वन भूमि पर ग्रामवासियों क परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

गम पुर्वपत् धिकास अधिकार आम पुर्वपत् धिकास अधिकार आम पुर्वपत् चित्तांगांठ कास खण्ड नागांव /उ०का०

and Spherick - 1

and a second second

A destruction of the second



मोट :- * यदि किसी आदिवासी अश्वया वनवासी की लिखी नृति अभावित हो रही है, तो तदनुसार उलका विवरण उदत प्रयन्न में दिशा लागा।

उक्त प्रपन्न उप जिल्हांधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति हारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी खे उपलब्ध कराया जायेगा। प्रपत्र-23.1



दिनांक <u>25/w/244</u>को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत <u>न्या ग्राक</u>

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम क्रमांक हस्ताक्षर बिजे र रवत नीगव 1. Very JUNIA RESTO AND RES 2. AICITS thisinter \$10-44 AT APE 3. de Em CIA9 भीरव 4-S/6 JATAT TAL 5-REZTAR S/O GALYRE 2000 5. WITHIM AT SIN MANTER The un slo mudition 7-525 GRUIM 2TH SAIR' 8 Mad u-9 asid 9 MI Deleter D. 6 dan 200 Ø Etto wie arynter 2mmi 941 h 13 ala stonate ally 271MH 21Danziel HIS ALEA JAN CAN 2hm/ 9 Let a R. যাত W Add Zond वामां प्रवासका nereporten **ह0** ग्राम प्रधान

प्रयन्त्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनए द उत्तरकारी में राष्ट्रीम राजमार्ग 123/507) भारती (ण्ड्र से सुरापी गांव जिसीव 95.00 से 101.00 तर दो लेन-भीरिकरण हेते वन-भूकि हस्तानम हत्याह - 26.00 किल्यार (ता क्याह - 26.00 किल्या कार्यालय उप जिलाधिकारी, अहरेट-

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

(_)

Ξı

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

	19:2
1-	श्री द्व हरी >7160 उपजिलाधिकारी बहरोट अन्याम 120
2-	भी जीर पीठ तर
3—	A mild sile were sure and sale were started
4—	आ <u>स्थाप्य स्विय</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी <u>स्वय</u> सदस्य संविव
	शे सावन राव त बीठडीठसीठ क्षेत्र प्रेन्ग्रहत जोगाल सदस्य बंबावत सद ग

14

183 (507) उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन्न अक्रिक्य समिति तहसील-

जनपद 300-3121

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्सेर्ठाही को स

 (\cdot)

:-)

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन्न अधिकार गरमीति तहसील- कार्य (Jaza जनपद 124

प्रपन्न-23

परियोजना का नाम :- राज्याम राजमार्ग जनपद उत्तरकाही में राज्यार्थ राजमार्ग 123(507) कार्ग्री कहर से सुराई जांब किण्मात राज्य कि भीत राज्य कि राज राज्यार्थ राजन-योडीवरन हेन बन करीन हत्वाकरन समावन

वन अधिकार अवितिवन 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-- पत्र

जनावत्वि प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद <u>उत्तर रकाश्चन</u> के उन्तरांत <u>द</u> <u>लोन</u> <u>ो है वरण</u> परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन न्हूने <u>MILL</u> है) रेंज तिविल सोयम भूमि <u>0.623</u> हो0, वन पंचायत नूनि <u>MILL</u> है) अर्थात कुल <u>0.623</u> हो0 वन भूमि का <u>राठ राठ तार्ग</u> <u>लार्ग</u> <u>कार्</u> हो <u>कार्</u>ट्र न्हून <u>के पह</u> में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आदेदन उन्तुत किया-गया।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसन्मति से निर्मय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम <u>स्वित्राम</u> के ग्रामवासियों को उक्त दन होने बाह हो साथ कि कि कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर होने आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



E0 ग्राम पंचायत ম আলচ্য

第一般是可能的学习的。

उक्त प्रपन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति हारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रपत्र--23.1

दिनांक .24411.2014. को प्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

	ग्राम पंचायत	
কৃদাক	ग्राम समा में उपस्थित तरिष्ट नामकी है	
1-	34-5 Report Change and	हस्ताक्षर
2.	अपेन्द्र शिह भाषती परिषठ प्रामवासियों के नाम	. bai
3-	सुरेभ परमाख 5/0 ज्यार मिन्	let
	Mannie viniz Sto 2020 PATE	tend
<u> </u>	NY9765 JUNIM AS	
-151-	ITATEN LETTE FAILE	frem.
G.	Janet	- Jam-
8	STONE RUE	Shire
0		>1001-THY
	5/12/01-	Formy
	an the	Audi
	all mig	100,0100
0	Certhy you Apr -	h
(B)	artic Ar	- pm
m)	The second second	bas
A	- All and a second	· Dorman
X		detated
	adantito	Number
-	DY WE -	drught 1
-(<u>1</u>)	Etchigh Alter	athe
(9)	Phataker Mr.	-10-
(20)	Hot And	- grantz
2)	Star A Star	montor
	E mom mesting	fund

ग्राम प्रधान

<u>प्रपत्र--23</u> वि

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाही में राष्ट्रीभ नाजमार्ग 123(507) व्यातरी राष्ट्र से मुराड़ी जाव किल्मी 75.00 से 101.00 वम दो लेल नौडीवरण हेहूं वन भूमि हत्ला नरल जिल्ला 1 (तल्लार 26.00 किल्मी)

वन अधिकार अधितेचन. 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्रान रंड दन जाम असारी तहरू लड़कीर जिला उत्परताशी

अन्तः इत्ताण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद <u>उत्परनाशी</u> के अन्तर्गत <u>र</u> तोन <u>रोधिन ह</u> परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन महन<u>े Nicc हे</u>) रेज मूमि <u>श.प्रि.इ.</u> हे0, वन पंचायत नूनि <u>Nicc हे</u>0) अर्थात कुल <u>श.प्रि.95</u> है0 वन मूमि का रा<u>ठ यूठ मार्ज लोग निरु लिक</u> विन्तर तत्त्वा के नहा में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्रान पंचयत <u>अराज</u> द्वारा दिनांक को

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्माय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अग्रे के ग्रामवासियों को उक्त दन जूरे २१० (१० मग्रे) को जुरु ग्रि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर रोट्रे आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह0∕∽ ग्राम सचिव

No. of the second se

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी मूनि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रमन्न में दिया जाय।

उक्त प्रपन्न उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति हारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रपत्र-23.1

क्मांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	Visid (142 that	. July -
2.	जालमीयो खालं	- Ales-
3-	चिर्जीखाल	2.
4-	त्रतीन चार्द	142जीलाल
5-	प्यारे काल	. almule .
	Tame	Phoses
6-		
7:	2001 मोहन चर्द् (माला)	10
Co-	र्साबन लास	A
9-	नम लाल	a STE
10-	न्युक्रील राना	y your of
	gooderseteld	Sus
1)	Lorg YHIG	ust Act
12	homa did .	A CALLER
13	21181-4-8	1mansharm
		- theefering
1,1	2201-4-4	Linut
-10-	monta-y-J	
16	- tornorol	My Filly
17	- may shut	A HIM-M
1D	Un changer	Hant
19	yme has	CARGE AV
	-Cristing - TCA &	Primer 2705

50 ग्राम प्रध 115

प्रपन्त-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद उल्रस्ता में राब्स्नेम राजमार्श 123 (507) कि भारती राइह के कुरीड़ी मोछ जिन्ती 75-00 के 101-00 43 दें। लेन - नीर्णवर्ग हें वन - क्रूमि र रलान्तरज हालावी (ताला 26-00 कि जिन्तीव) कार्यालय उप जिलाधिकारी, वडतेह

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

:)

 $\{ \cdot \}$

उपखण्ड क्रुको परिवेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय रागारी 123 (507) क्रिकी नंड करेंगे 101.00 र्यप्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील व्या होद्र) की दिनांक १०/121 २०14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:---

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	A SAL 21/2 416 de 34 GUIGARIELANTA OUSAN (20 50)
2	ST STA 410, AL STI HURTHE STATE
3-	AT MKOND STORE
4	श्री मही जमिला राना बींगडी0सी0 क्षेत्र प्रमामत नुराही सदस्य / संदिल र
	केंद्र प्रयोग मराही

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि <u>राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (Seq) कि स्वत 75.00</u> हे 101.00 रहे वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

7.1.

वैतक में सर्वसम्मति से उपखण्ड का कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राग्रीम रूजा (23.(507)) परियोजना के निर्माण हेतुपरिक्षेत्र के अन्तर्गत राग्रीम रूजा (23.(507)) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप् जिलाधिकारी / अक्यक्ष उपखण्ड स्तरीय स्वाधकार समिति तहसील कार्ड कार जनपद उद्रत्र के 21

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्त्यनेलाही। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

:)

· · .)

उप जिलाधिकारी/अह्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन्द्रभायकार समिति तहसील किंग

जनपद उलर्रहा